Machine Translated by Google

परिशिष्ट छठी

के साथ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन योजना

निजी क्षेत्र में विकलांग (दिव्यांग)

1. पृष्ठभूमि

विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए, तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा वित्तीय वर्ष 2007-08 के अपने बजट भाषण में विकलांगों को रोजगार प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन की एक योजना की घोषणा की गई थी।

इस घोषणा के अनुसरण में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने निजी क्षेत्र में नियोक्ताओं के लिए एक योजना शुरू की, जिसमें मासिक वेतन के साथ विकलांगों को रोजगार देने के लिए पहले तीन वर्षों के लिए सरकार द्वारा ईपीएफ और ईएसआई में नियोक्ता के योगदान का भुगतान करने की परिकल्पना की गई है। से रु. 25,000/-.

योजना की शुरूआत के बाद, प्रिंट और अन्य मीडिया के माध्यम से इसका व्यापक प्रचार किया गया। सभी मुख्यमंत्रियों से इस योजना का प्रचार-प्रसार करने और इसके क्रियान्वयन पर कड़ी निगरानी रखने का अनुरोध किया गया था।

फिक्की ने योजना के बारे में जानकारी का प्रसार करने के लिए 17.10.2008 को नई दिल्ली में नियोक्ताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया, जिसे तत्कालीन वित्त मंत्री ने संबोधित किया था। इसके बाद हैदराबाद, कोलकाता और जयपुर में राज्य स्तरीय बैठकें हुईं।

प्रोत्साहन योजना मूल रूप से प्रकृति की है। चौड़ा स्वैच्छिक में
योजना के बारे में मंत्रालय के साथ-साथ ईपीएफओ और ईएसआईसी द्वारा प्रचार किया गया है। रुपये की राशि। 2008 से ईपीएफओ और ईएसआईसी को योजना के प्रचार के लिए 3.00 करोड़ रुपये जारी किए गए थे-
09 आगे।

यद्यपि प्रिंट और अन्य मीडिया के माध्यम से इस योजना का व्यापक प्रचार किया गया था, अब तक उपलब्धि महत्वपूर्ण नहीं थी। लाभार्थी मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली राज्यों में रहे हैं जबकि अन्य राज्यों में या तो कोई कवरेज नहीं था या बहुत कम कवरेज था।

उच्च स्तरीय निगरानी समिति द्वारा व्यापक प्रचार और योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के बावजूद, योजना को गति नहीं मिली है। इसलिए, योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, यह आवश्यक है कि न केवल योजना को निजी क्षेत्र के लिए और अधिक आकर्षक बनाया जाए बल्कि रोजगार योग्यता और कुशल की उपलब्धता से संबंधित मुद्दों को भी संबोधित किया जाए।

जनशक्ति।

Machine Translated by Google

कम प्रतिक्रिया के कारणों का आकलन करने और नियोक्ताओं और अन्य संबद्ध मुद्दों के लिए इसे और अधिक आकर्षक बनाने के उपायों का सुझाव देने के लिए अतिरिक्त सचिव, श्रम मंत्रालय की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया गया था। टास्क फोर्स ने अगस्त 2012 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और कुछ सिफारिशें कीं।

2. प्रोत्साहन योजना के प्रति कम प्रतिक्रिया के कुछ कारण इस प्रकार थे:

ए) नियोक्ता के अंशदान की प्रतिपूर्ति केवल 3 वर्ष के लिए थी।

बी) मजदूरी की मौजूदा सीमा रुपये तक थी। 25000/- मात्र योजना के तहत।

सी) 1.1% के संबंधित प्रशासनिक शुल्क का भुगतान नियोक्ताओं द्वारा किया जा रहा है।

डी) नियोक्ताओं को किसी भी कर प्रोत्साहन की अनुपस्थिति।

इ) नियोक्ता के योगदान की प्रतिपूर्ति की बोझिल विधि।

एफ) PwD के कौशल निजी क्षेत्र की जरूरतों के साथ मेल नहीं खा रहे हैं।

जी) निजी क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी का रोजगार अनिवार्य नहीं है।

3. विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) में इस मुद्दे पर विचार किया जा रहा है और विभिन्न हितधारकों के साथ किए गए इनपुट/चर्चाओं के आधार पर योजना में सुझाए गए संशोधन इस प्रकार हैं:

4. निजी क्षेत्र में विकलांगों को रोजगार प्रदान करने के लिए संशोधित प्रोत्साहन योजना

ए) नियोक्ताओं को अपने पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के संबंध में ईपीएफ/ईएसआई अंशदान जमा करने की आवश्यकता नहीं है। नियोक्ताओं को केवल उनके द्वारा की गई नियुक्तियों के बारे में ईपीएफओ / ईएसआईसी को सूचित करने और ईपीएफओ / ईएसआईसी में कर्मचारी के योगदान को प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। नियोक्ता का योगदान ईपीएफओ और ईएसआईसी द्वारा पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के संबंधित खातों में जमा किया जाएगा। डीईपीडब्ल्यूडी ईपीएफओ/ईएसआईसी को अग्रिम भुगतान करेगा।

बी) यह योजना निजी क्षेत्र में कार्यरत सभी विकलांग व्यक्तियों पर लागू होगी, चाहे वेतन/वेतन की कोई सीमा कुछ भी हो।

सी) ईपीएफ/ईएसआई अंशदान (मौजूदा दरों पर) पर लागू प्रशासनिक शुल्क डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा वहन किए जाएंगे।

डी) सरकार 10 साल के लिए ईपीएफओ और ईएसआईसी में नियोक्ता के योगदान का भुगतान करेगी।

इ) पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों के लिए देय और स्वीकार्य ग्रेच्युटी राशि का एक तिहाई, जिसे ग्रेच्युटी अधिनियम के लागू प्रावधानों के तहत नियोक्ताओं द्वारा भुगतान किया जाना आवश्यक है, डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा वहन किया जाएगा।

Machine Translated by Google

एफ) यदि कोई निजी नियोक्ता पीडब्ल्यूडी को किसी विशेष व्यापार में प्रशिक्षु के रूप में नियुक्त करता है और उन्हें शिक्षुता अवधि पूरी होने पर नियोजित करता है, तो पीडब्ल्यूडी को देय शिक्षुता अवधि के दौरान वजीफा डीईपीडब्ल्यूडी द्वारा वहन किया जाएगा।

जी) योजना में निम्न के लिए पर्याप्त बजट प्रावधान होगा:-

(मैं) योजना के प्रावधानों के बारे में फिक्की, एसोचैम, सीआईआई आदि जैसे उद्योग संघों को संवेदनशील बनाना।

(ii) कारपोरेट निकायों के मानव संसाधन प्रमुखों/प्रबंधकों के साथ संगोष्ठियों/कार्यशालाओं का आयोजन करना ताकि उन्हें योजना के बारे में जागरूक किया जा सके और उन्हें अपने संगठनों में विकलांगों को नियुक्त करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

(iii) इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया और पत्रक, ब्रोशर आदि के प्रकाशन के माध्यम से योजना का पर्याप्त प्रचार।

(iv) देश के विभिन्न भागों में समय-समय पर रोजगार मेलों का आयोजन।

ज) विभाग कर सलाहकारों की राय आमंत्रित करके एक उपयुक्त प्रस्ताव करेगा और वित्त मंत्रालय के विचार के लिए संदर्भित किया जाएगा, ताकि विकलांग व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने के लिए निजी नियोक्ताओं को प्रोत्साहन के रूप में उपयुक्त कर राहत दी जा सके।

5. योजना की निगरानी

योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति होगी
गठित। समिति की संरचना इस प्रकार होगी:

(ए) सचिव, डीईपीडब्ल्यूडी - अध्यक्ष।

(बी) महानिदेशक एम्.पी. एवं प्रशिक्षण, एम/श्रम एवं रोजगार - सदस्य

(सी) ईपीएफओ के मुख्य भविष्य निधि आयुक्त - सदस्य।

(डी) आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम - सदस्य

(इ) डीईपीडब्ल्यूडी के प्रभारी संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार,

(च) समिति एसोचैम, सीआईआई आदि जैसे कर्मचारी निकायों को विशेष आमंत्रण या विशेषज्ञ समूहों के रूप में आमंत्रित करेगी,

(जी) डीईपीडब्ल्यूडी में संबंधित संयुक्त सचिव - सदस्य सचिव।

(एच) 5 राज्य सरकारों के प्रतिनिधि

Machine Translated by Google

समिति आवश्यकता के अनुसार तिमाही में कम से कम एक बार बैठक करेगी और योजनाओं के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक विभिन्न मुद्दों पर विचार करेगी।

निधियों के [illegible] जिसमें लाभार्थियों और

7. प्रशासनिक व्ययः योजना के तहत कुल बजट का 3% प्रावधान योजना के प्रशासनिक व्यय के रूप में रखा जाएगा ताकि योजना को लागू करने के लिए अनुबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति, समय-समय पर बैठकें आयोजित करने आदि के लिए होने वाले संभावित खर्चों का ख्याल रखा जा सके।

8. इस योजना से उत्पन्न होने वाले मामलों पर कोई भी मुकदमा के एकमात्र अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्थित न्यायालय।

9. हर तीन साल में संशोधित योजना की समीक्षा की जाएगी

10. संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2016 से प्रभावी होगी ।

****